9-11-17 on [illegible] entry

ायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 623/2017 धारा 107 द.प्र.स.

...त द... तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
...4.17 IR-7/9/17	नन्द किशोर सिंह बनाम मनोज सिंह मद्दा थाना अप्राथमिकी सं० 12/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ०नि०/अ०नि० मद्दा ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी मद्दा थाना एवं अ० निरी० मद्दा ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच जमीन संबंधी विवाद को .... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यो से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 9-5-17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रू० का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद (हस्ताक्षर) अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	1/5/17 30/5/17 12/6/17 27/6/17 17/7/17 5/8/17 23/8/17 6/9/17 16/9/17 5/10/17 18/10/17 2/11/17 16/11/17 30/11/17 13/12/17 समाप्त

92
1/1/17

30-11-17 उभय पक्ष अनु०
अनि. 13/12/17 नोटिस,
कार्य० सहा०

13/12/17. प्रथम पक्ष की हाजरी है।
द्वितीय पक्ष अनु० है। वादि निर्गत है
प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित वाद का
कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए प्रथम
पक्ष द्वारा लगातार छः महीना से
कोई विवाद नहीं हुआ, उनके द्वारा
घोषणा की गई वाद को समाप्त
किया जाय। अतः कालबाधित होने
तथा प्रथम पक्ष के घोषणा के
आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त
की जाती है एवं वादिपत्र वापस की
जाती है।

Prem
13/12/17

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.04.08 11:07:40 +05:30
Location: 192.168.29.43

Scanned with OKEN Scanner